प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (KHARGONE), मध्यप्रदेश

दूरभाषः- फैक्सः ई-मेलः

क्रमांकः/27177117/स्कूल आई.डी. - 58372 दिनांकः- 08/05/2018

प्रति,

प्रबंधक,

(FUTURE FLYING SCHOOL)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 14/02/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -FUTURE FLYING SCHOOL, BARWA MIL FATA KHANDWA ROAD TEMA DIST-KHARGONE को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दषा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पष्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिष्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा,
  - किसी बालक को षारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी

Principal
Future Flying School
Behrampur Tema, Distt. Khargone

सचिव
नवरत्न साँवरा एजुकेशन सोसायटी
खरगोन (म.प्र.)

- स्कूल व्दारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन	किराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	80000	50000
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20000	10000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	60000	40000

ड.	अधोसंरचना का विवरण					
		Rooms as	पोर्टल मे दर्ज		वास्तविक स्थिति	
	कक्ष	per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		14	8400	14	8400
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		3	1800	3	1800
3	भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

च.	अन्य सुविधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	250	250
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	2	2
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	2	2
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	5
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	5
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..27177117.. एवं डाईसकोड (DISE) 23271004208 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला KHARGONE मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 30/12/2020

//परिपत्र//

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.04.2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनकी मान्यत दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 03.03.2020) के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनाक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ उपर्युक्त अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2020/1834 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु मान्यता नवीनीकरण के लिए एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर दिनांक 31.12.2020 तक आवेदन अपलोड करने हेतु समयसीमा नियत की गई है।

3/ लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2020/2079 दिनांक 22.12.2020 द्वारा यह निर्देश भी जारी किये गये है कि जिन संस्थाओं द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 (यथा संशोधित दिनांक 03.03.2020) के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 से आगामी पांच वर्षो तक की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल की मान्यता नवीनीकरण हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदन किया जाता है तो उन संस्थाओं को यह छूट प्रदान की जाती है कि वे मान्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक एक मुश्त अथवा तीन किश्तों में जमा कर सकते है।

4/ वर्तमान कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनाक 03.03.2020) के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

5/ उपर्युक्त निर्णय के क्रम में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है –

5.1 संचालनालय लोक शिक्षण के पूर्व निर्देशो के अनुक्रम मे जिन अशासकीय विद्यालयों द्वारा सशुल्क आवेदन किए गए और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, यथावत मान्य होगी।

5.2 जिन अशासकीय विद्यालयों द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा किया जा चुका है किन्तु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यक नहीं होगी।

5.3 अशासकीय विद्यालयों के लिए मान्यता नवीनीकरण संबंधी ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2020 को दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि के लिए

Scan/RSatankar/30122020
Future Flying School
Behrampur Tema, Distt. Khargone

सचिव
नवरत्न सॉवरा एजुकेशन सोसायटी
खरगोन (म.प्र.)

बढ़ाया जाता है। संबंधित संस्थाएँ उक्त तिथि से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी सहित आवेदन पोर्टल पर अपलोड करेगी।

5.4 अशासकीय विद्यालयों द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क को पूर्ववत दिनांक 31.12.2021 तक जमा किया जा सकेगा, जिसमें सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 का शुल्क भी सम्मिलित होगा।

5.5 ऐसी समस्त संस्थाएँ जो 31.03.2022 तक की अवधि के लिए मान्यता नवीनीकरण के ऑटोरिन्यूवल का लाभ ले रही है उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे विद्यालय का संचालन मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित दिनांक 03.03.2020) में वर्णित मापदण्डों एवं शर्तों के अधीन करेगी।

6 / सत्र 2021-22 तक की मान्यता का ऑटोरिन्यूवल होने से मान्यता नवीनीकरण के शेष लंबित आवेदनों पर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण स्तर से आगामी कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबंधितो द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के पालन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 30 / 12 / 2020

पृ.क्रमांक एफ 37-2 / 2020 / 20-3

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र एनआईसी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
11. श्री निखिल कुमार, कंसलटेंट, एमपीऑनलाइन, म.प्र., भोपाल।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द मध्यप्रदेश।
15. समस्त विकासखण्ड समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal
Future Flying School
Behrampur Tema, Distt. Khargone

सचिव
नवरत्न सॉवरा एजुकेशन सोसायटी
खरगोन (म.प्र.)